संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4 / शिका. / सेल.3 / जबलपुर–छिन्दवाड़ा / 2025 / 1681 भोपाल,दिनांक 5-10-2025

/ / आदेश / /

दिनांक 04.10.2025 को मध्यप्रदेश के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों – छिन्दवाड़ा जिले में किडनी फेल होने से बच्चों की मौत के संबंध में विभाग के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सिविल अस्पताल परासिया जिला छिन्दवाड़ा में पदस्थ डॉ.प्रवीण सोनी, शिशुरोग विशेषज्ञ द्वारा निजी प्रेक्टिस करते हुये उपचार हेतु आये शिशुओं को ऐसी दवाईयाँ पर्चे पर लिखी गई ,जिसका सेवन करने के बाद उक्त शिशुओं को तेज बुखार एवं पेशाब करने में कठिनाई होने के पश्चात् कुछ बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई। प्रकरण में प्राप्त जांच में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि डॉ.प्रवीण सोनी द्वारा शिशुओं को पर्चे पर ऐसी दवाईयाँ लिखी गई जिससे शिशुओं की किड़नी पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा उसके कारण कुछ बच्चों की दुखदः मृत्यु हुई।

यह कि उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि डॉ.प्रवीण सोनी, शिशुरोग विशेषज्ञ के द्वारा निजी प्रेक्टिस के दौरान शिशुओं के पर्चे पर दवाईयाँ लिखी गई, जिसे पीने के पश्चात् ही उक्त शिशुओं को तेज बुखार एवं पेशाब करने में कठिनाई होने व बच्चों की किडनी फैल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

यदि डॉ.प्रवीण सोनी द्वारा शिशुओं का उपचार अच्छे से किया जाकर उक्त शिशुओं को क्या तकलीफ है की सही जांच कर उन्हें उचित उपचार दिया जाता तो संभवतः शिशुओं को बचाया जा सकता था , किंतु डॉ.प्रवीण सोनी, शिशुरोग विशेषज्ञ द्वारा प्रायवेट प्रेक्टिस के दौरान ऐसा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप डॉ.सोनी द्वारा अपूर्णनीय क्षति कारित की गई तथा विभाग की छवि को भी धूमिल किये जाने का प्रयास किया जाकर वें अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम साबित हुये।

इस प्रकार डॉ.प्रवीण सोनी, शिशुरोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल परासिया जिला छिन्दवाड़ा ने स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम–3 के उपनियम, (i)(ii)(iii) का उल्लंघन कर स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ज्ञाप क्रमांक.13–31 / 2004 / 17 / मेड़ि–1 / दिनांक 22.04.2006 द्वारा स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश को उनके नियंत्रणाधीन पदस्थ प्रथम श्रेणी चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने संबंधी अधिकार प्रदत्त किये गये है।

अतः डॉ.प्रवीण सोनी, शिशुरोग विशेषज्ञ सिविल अस्पताल, परासिया जिला छिन्दवाड़ा द्वारा निजी प्रैक्टिस के दौरान उपचार हेतु आये शिशुओं के उपचार में गंभीर लापरवाही बरती जाकर अपने पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन, पूर्ण निष्ठा से संपादित नहीं करने के परिणामस्वरूप, डॉ.सोनी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम,9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में डॉ.सोनी का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग,जबलपुर के अधीन किया जाता है। डॉ. सोनी को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

(तरूण राठी)
आयुक्त,
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश

Digitally signed by
Tarun Rathi
Date: 05-10-2025
01:56:56

निरन्तर....2

vivo V40 | ZEISS
24mm f/1.88 1/100s ISO882
10/05/2025, 02:06
CamScanner

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.3/जबलपुर–छिन्दवाड़ा/2025/1682 भोपाल,दिनांक 5-10-2025

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख संचिव, मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. संभागीय आयुक्त,जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्ययप्रदेश की ओर प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
4. मिशन संचालक,एन.एच.एम.कार्यालय,मध्यप्रदेश की ओर विषयांकित प्रकरण के संदर्भ में अग्रेषित।
5. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
6. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा,मध्यप्रदेश की ओर जारी आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप जारी आदेश संबंधित डॉ.प्रवीण सोनी, शिशुरोग विशे षज्ञ, सिविल अस्पताल परासिया,जिला छिन्दवाड़ा को अविलंब तामिल कराते हुये,तामिली रिपोर्ट तथा जारी आदेश की प्रविष्टि संबंधित.डॉ.प्रवीण सोनी, की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को तीन दिवस की समयावधि में अवगत कराते हुये डॉ.प्रवीण सोनी,शिशुरोग विशेषज्ञ के विरूद्ध आरोप पत्रादि का प्रारूप एक सप्ताह की समयावधि में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा विलंब हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला छिन्दवाड़ा,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
9. संभागीय कोष एवं लेखा जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्यप्रदेश ।
10. जिला कोषालय अधिकारी,जिला छिन्दवाड़ा,मध्यप्रदेश।
11. डॉ.प्रवीण सोनी,शिशुरोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल परासिया,जिला छिन्दवाड़ा,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर उक्त आदेश वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।
13. आदेश नस्ति।

आयुक्त,
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

vivo V40 | ZEISS
24mm f/1.88 1/100s ISO831
10/05/2025, 02:06

CamScanner